

पति, निवा भारत
सिरी-307001

.....
136/12.7.2016, 214/09.11.2017 व 111/17.6.2018 को
1949 की धारा 13 के तहत अपना सखा
विवाह में एकराज्य सौजनिक धर्म (विआ) अध्यादेश,
की रिपोर्ट अनुसार निरसाधन नकसद के विरुद्ध पुलिस धारा,
अपान व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक, सिरी-
पनावली तथा पनावली उपलब्ध साखी का गणितरालापदक
प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय
प्रत्युत कावधानी की सुधि किया जावे।

गतिविधियां में निरसाधन है, इसविध निरसाधन के विरुद्ध
वर्त नहीं है, निरसाधन वर्तमान में सुनी साखी आपराधिक
विरुद्ध शान्ति धरा करने या मापदंड करने का कोई मुकदमा
करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। निरसाधन के
गया है। निरसाधन गरीब व्यक्ति है एवं मजदूरी व नौकरी
वर्त मुकदमा में निरसाधन की निरसाधन को खोला करमाया
कि निरसाधन के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत
निरसाधन के अधिवक्ता में बहस के दौरान यह ध्यान किया
जिले में निकालने करने का अनुरोध किया। जबकि
आकारित करते हुए निरसाधन को उः माह की अवधि के सिद्ध
में बहस के दौरान इरसाधन में आकर तथ्यों की ओर ध्यान
अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अधिवक्ता अधिका
प्रकरण में सहायक अधिवक्ता अधिका एवं निरसाधन के
कर प्रकरण का आज ही निरसाधन करने का अनुरोध किया।
रखला में सुनि/आरप रीकार्डिंग का प्रार्थना पर प्रत्युत
निरसाधन में लोक अदालत की भावना में प्रील होकर
प्राथमिक मंचाल उपस्थित, निरसाधन कालानामा धरा किया।
सिरी- उपस्थित। निरसाधन की ओर में अधिवक्ता श्री
मुसलमान, निवासी- सदर बाजार, जयपी, विवाह, निवा-
उपस्थित। निरसाधन नकसद प्रक एवं सुनि जा, जालि-
पनावली धरा हुई। सहायक अधिवक्ता अधिका श्री सिरी-



117232
Rudra
23/09/20

2023-09-23



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या 21/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इर हुकम की तामि में जारी हुए
	<p>दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान सार्वजनिक धृत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों में संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए वण्डित किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 214/09.11.2017 व 111/17.6.2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 214/09.11.2017 व 111/17.6.2018 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 27.11.2017 व 09.7.2018 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।</p> <p>अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगसे को स्वीकार करते हुए गैरसायल मकसूद पुत्र बाबु खां, जाति-मुसलमान, निवासी- सदर बाजार, छावणी, शिवगंज, जिला-सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 18 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षर रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवगंज को प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही</p>	

